विनय कुमार सिंह, भा.रा.से.
**Vinay K. Singh,** I.R.S.
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

सत्यमेव जयते

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
**Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.**
*(Under Ministry of Finance, Govt. of India)*

## संदेश

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार, भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. में 'सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि' विषय के साथ दिनांक 28.10.2024 से 03.11.2024 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें सभी हितधारक भ्रष्टाचार को सार्वजनिक जीवन से निर्मूल करने का संकल्प लेते हैं। जनसंपर्क में पारदर्शिता भ्रष्टाचार निवारण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसलिए यह आवश्यक है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में अपने कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएँ ।

इस वर्ष सतर्कता जागरुकता सप्ताह का मुख्य केंद्र बाहरी गतिविधियों पर रहेगा। विभिन्न विद्यालयों एवं कॉलेजों में कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इकाइयों में सतर्कता रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही, सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों जैसे विक्रेता बैठक, व्याख्यान, कार्यशालाओं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की भांति सतर्कता विभाग की वार्षिक ई-पत्रिका "सतर्कवाणी" के 10वें संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि निगम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सतर्कता के साथ पूर्ण पारदर्शिता कायम रखते हुए अपने विश्वास के प्रतिबिंब को सर्वदा बनाए रखेंगे और कार्यालय के प्रत्येक कार्य में प्रणालीगत सुधार लाएँगें।

उपरोक्त के अलावा, भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. के कर्मचारियों से सतर्कता विभाग के कार्यक्षेत्र में मूल्यवर्धक सुझाव आमंत्रित है जो भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. में पारदर्शिता तथा व्यवस्था में सुधार लाने में सहायक हों।

सादर,

(विनय कुमार सिंह)

16 वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi-110 001
फोन / Tel. : 91-11-43582260 फैक्स / Fax : 91-11-43582202, ई-मेल / E-mail : cvo@spmcil.com
वैब / Web : www.spmcil.com
CIN : U22213DL2006GOI144763